(ए0 एफ0 आर0)

(न्यायकक्ष संख्या 87)

सिविल प्रकीर्ण बन्दी प्रत्यक्षीकरण याचिका संख्या [redacted] वर्ष 2022

[redacted] ———————— याची

प्रति

राज्य उ0 प्र0 एवं अन्य ———— विपक्षीगण

<u>माननीय शेखर कुमार यादव, न्यायमूर्ति</u>

यह बन्दी प्रत्यक्षीकरण याचिका, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के अन्तर्गत याची की ओर से इस आशय से योजित की गयी है कि विपक्षी संख्या 4 को आदेशित किया जाए कि याची [redacted] जो कि विपक्षी संख्या 4 की अभिरक्षा में अवैधानिक रूप से निरूद्व है, उसे इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाए और उसे उसकी माता की अभिरक्षा में सुपुर्द किया जाए।

याचिका के तथ्य इस प्रकार है कि [redacted] ने एक प्रार्थना पत्र विपक्षी संख्या 3 थानाध्यक्ष, अतरसुईया, जिला प्रयागराज के समक्ष इस आशय का प्रस्तुत किया कि विपक्षी संख्या [redacted] ने उसकी पुत्री [redacted] को जबरदस्ती अपने कब्जे में अवैधानिक रूप से निरूद्व कर रखा है जिसे उसकी सुपुदर्गी में दिया जाए परन्तु इस सम्बंध में स्थानीय पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गयी। यह भी कथन किया गया कि [redacted] का स्वास्थ ठीक नहीं है एवं वह वयस्क है जिसकी आयु 21 वर्ष से अधिक है और वह स्नातक है।

याचिनी के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनने के पश्चात इस न्यायालय के आदेश दिनांक 6–4–2022 के द्वारा विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को निर्देशित किया गया कि वह याची [redacted] एवं विपक्षी संख्या [redacted] को दिनांक 7–4–2022 को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें।

आदेश दिनांक 6—4—2022 के अनुपालन में याची कु0 [redacted] एवं विपक्षी संख्या 4 [redacted] न्यायालय के समक्ष आज दिनांक 7—4—2022 को उपस्थित हुई। उन्होंने न्यायालय को बताया कि वे दोनों वयस्क है और आपस में एक दूसरे को प्यार करते है तथा दोनों ने आपसी सहमति से समलैगिंक विवाह कर लिया है। उन्होंने इस सम्बंध में न्यायालय को एक वैवाहिक अनुबंध पत्र भी दिखाया जिसमें याची [redacted] व विपक्षी संख्या 2 कु0 [redacted] ने अपनी आयु क्रमशः 23 व 22 वर्ष दिखायी है और यह बताया है कि उन्होंने आपस में समलैगिंक विवाह कर लिया है और आगे वे अपने दम्पत्ति दायित्वों का निर्वहन करते रहेगें।

याची [redacted] व विपक्षी संख्या 4 [redacted] द्वारा न्यायालय से यह अनुमति मांगी गयी है कि वे वयस्क है और मानसिक रूप से स्वस्थ हैं तथा एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं एवं उन्होंने आपसी सहमति व बिना किसी डर, भय के समलैगिंक विवाह कर लिया है। अतएव उनके समलैगिंक विवाह को न्यायालय द्वारा मान्यता प्रदान की जाए जिससे वे दोनों अपना जीवन वैधानिक रूप से समाज के समक्ष प्रस्तुत कर सकें। साथ ही साथ यह भी कहा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **नवतेज सिंह जोहर प्रति यूनियन आफ इण्डिया 2018 (10) एस0 सी0 सी0 1** के मामले में समलैगिंक रिश्तों को अपराध नहीं माना है और दो वयस्क व्यक्तियों को आपसी सहमति के अनुसार साथ रहने में छूट प्रदान की गयी है। उनके द्वारा आगे यह भी कहा गया कि हिन्दू विवाह अधिनियम में दो लोगों की शादी करने की बात कही गयी है परन्तु समलैगिंक विवाह का विरोध नहीं किया गया है। अतएव उनके समलैगिंक विवाह को मान्यता मिलनी चाहिए। यह भी कहा गया कि संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकारों के तहत समानता के आधार पर भी उन्हें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 16 एवं 21 के अन्तर्गत मौलिक अधिकार प्राप्त है, अतः उनके समलैगिंक विवाह को वैधानिक अधिकार मिलना चाहिए। यदि उन्हें समलैगिंक विवाह का अधिकार नही मिलता है तो भारतीय संविधान

में मिले मौलिक अधिकारों का हनन होगा। विश्व के 25 देशों से अधिक देशों ने समलैगिंक विवाह को मान्यता प्रदान की है।

विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री लालमनि सिंह एवं श्री एस0 बी0 मौर्या ने उक्त पर निम्न आपत्ति उठायी है कि यह भारत देश है जहाँ भारतीय संस्कृति, धर्म एवं भारतीय विधि के अनुसार देश चलता है। यहाँ पर विवाह को एक पवित्र संस्कार माना गया है जब कि अन्य देशों में विवाह एक अनुबंध है। भारतवर्ष में विवाह के समय हिन्दू स्त्री पुरूष, भगवान व अग्नि को साक्षी मानकर शपथ लेतें है कि वह जीवन पर्यन्त एक दूसरे के सुख–दुख में शामिल होगें। हिन्दू विवाह अधिनियम में भी विवाह हेतु एक स्त्री व एक पुरूष की बात कही गयी है। स्त्री, पुरूष के अभाव में विवाह भारतीय परिवेश में किसी भी प्रकार से स्वीकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह भारतीय परिवारिक संकल्पना से परे है। हिन्दू विवाह अधिनियम 1955, विशेष विवाह अधिनियम 1954 एवं विदेशी विवाह अधिनियम 1969 में भी कहीं समलैगिंक विवाह की अनुमति नहीं दी गयी है। यहाँ तक कि मुस्लिम, बौद्व, जैन, सिक्ख आदि धर्म में भी समलैगिंक विवाह को मान्यता नहीं दी गयी है।

भारतीय सनातन विधि के अनुसार 16 प्रकार के संस्कार बताये गये हैं, जिनमें गर्भावास्था से लेकर अन्तेष्टि संस्कार शामिल है। गर्भावास्था में शिशु के उत्पन्न होने से और उसके मरण तक के सभी प्रकार के संस्कार बताये गये हैं जो निम्न प्रकार से हैः–

(1) गर्भाधान संस्कार, (2) पुंसवन, (3) सीमांतोनन्यन, (4) जातकर्म, (5) नामकरण, (6) निष्क्रमण, (7) अन्नाप्राश्न, (8) चूडाकर्म, (9) विद्यारम्भ, (10) कर्णवेध, (11) यज्ञोपवीत, (12) वेदारंभ, (13) केशांत, (14) समावर्तन,(15) विवाह, (16) अन्तेष्टि।

आगे यह भी कहा गया कि इस प्रकार उक्त 16 संस्कारों में स्त्री पुरूष की अहम भूमिका दर्शायी गयी है और स्त्री पुरूष के अभाव में उक्त संस्कार पूर्ण नहीं हो सकतें हैं। शिशु के उत्पन्न न होने की दशा में कोई भी संस्कार सम्भव नहीं है। इसी को ध्यान में रखते हुए अपने भारतीय संस्कृति और भारतीय विधि में

विवाह के लिए एक जैविक पति और जैविक पत्नी का होना अनिवार्य बताया गया है और उनके विवाह को ही मान्यता प्रदान की गयी है। उक्त के अभाव में समलैगिंक विवाह को मान्यता प्रदान नहीं की जा सकती है क्योंकि इसमें स्त्री पुरूष का अभाव है और न ही वे संतान उत्पन्न कर सकते हैं। हिन्दू विधि में विवाह को महत्वपूर्ण माना गया है जिसके अन्तर्गत स्त्री और पुरूष दोनों एक साथ रहकर संतान उत्पन्न करके मानव श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं।

आगे यह भी कहा गया कि याची [redacted] तथा विपक्षी संख्या [redacted] की याचना जिसमें उन्होंने अपने समलैगिंक विवाह को मान्यता प्रदान करने का अनुरोध किया है यदि उसे स्वीकार कर लिया जाए तो यह भारतीय संस्कृति, धर्म एवं भारतीय विधि के अनुसार अमान्य होगा और ऐसा होने पर भारतवर्ष के विभिन्न कानूनों में इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा जिसे स्त्री एवं पुरूष को ध्यान में रखकर बनाया गया है।

उपरोक्त सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए याची [redacted] के समलैगिंक विवाह के अनुरोध को खारिज किया जाता है।

उपरोक्त टिप्पणी के साथ यह बन्दी प्रत्यक्षीकरण याचिका **अन्तिम रूप से निस्तारित** की जाती है।

दिनांकः—7—4—2022

अ.

Digitally signed by AFAQ AHMAD
Date: 2022.04.13 17:05:50 IST
Reason:
Location: High Court of
Judicature at Allahabad